भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ

प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम. रोड लखनऊ.226013(उ0प्र)

दिनॉक: 31.10.2019

मेसर्स...

....

....

<u>विषय: बाग (फसल) बेचने के सम्बन्ध में वर्ष : 2019</u>

महोदय,

भारतीय प्रबन्ध संस्थान , लखनऊ परिसर में स्थित आम के बागों इत्यादि की फसल बेंचने की प्रकिया शुरू की जा रही है इस सम्बन्ध में संस्थान के कुछ नियम व शर्तें है। अगर आपकों निम्नाकित शर्तें मंजूर हैं, तो आप अपनी फसल खरीदने का मूल्य लिखकर इसकों सीलबन्द लिफाफे में दिनॉक 22.11.2019 सांय 02: 00 बजे तक भारतीय प्रबन्ध संस्थान के मुख्य द्वार पर रखें टेण्डर बाक्स में डाल दें। सील बन्द लिफाफे के ऊपर निम्न पता लिखा होना चाहिये।

(बाग की नीलामी का टेण्डर)
"आफीसर आन स्पेशल डियूटी"
भारतीय प्रबन्ध संस्थान
लखनऊ

नोट: सील बन्द टेण्डर दिनॉक: 25/11/2019 को सांय 4 बजे समाधान के समिति कक्ष में खोले जायेगें।

<u>मुख्य तीन शर्ते :</u>

1 नीलामी में भाग लेने वाले का रू 15,000/. (रूपया पन्द्रह हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट जों कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ के पक्ष में अग्रिम धनराशि के रूप में टेण्डर के साथ संलग्न कर देना होगा, जो कि टेण्डर प्रकिया पूरी होने के पश्चात वापस की जायेगी ।

ड्राफ्ट का पूरा विवरण	बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनॉक	मूल्य

2 संस्थान को 30 कुन्तल (तीस कुन्तल) अच्छे आम (चौसा, आम्रपाली, दशहरी) जून माह के अन्दर देना होगा।

3 संस्थान द्वारा फसल की कम से कम कीमत 1,00000/.(एक लाख मात्र) रखी गई है। तथा आम की फसल एक वर्ष के लिए निलाम होगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते :

1 आम के पेडं के समीप शीशम, शागौन तथा अन्य कीमती पेडों की सुरक्षा करनी होगी।

2 बागों में पानी देने के लिए पाइप आदि का इन्तजाम ठेकदार को स्वंय अपने व्यय पर करना होगा । संस्थान आपकों केवल पानी मुहैया करायेगा ।

3 टेण्डर फार्म में भरी गई धनराशि का डिमांड ड्राप्ट साथ में सलंग्न करें।

4 निविदा प्रपत्र खुलने के बाद असफल व्यक्तियों ई.एम.डी व निर्धारित रकम की डी.डी वापस कर दी जायेगी।

5 बाग में मौजूद किसी भी वृक्ष की लकडी न तो काटी जायेगी और न ही अन्य प्रकार की क्षति पहुचाई जायेगी यदि आंधी अथवा किसी प्राकृतिक आपदा से किसी वृक्ष की डाल टूटकर गिरती है अथवा किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी सूचना फर्म द्वारा तत्काल श्री पी.के.राय, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उघान अथवा विशेष कार्यअधिकारी को लिखित रूप में दी जायेगी । जो उसे उठाने का प्रबन्ध संस्थान की ओर से करेगें उस पर बागों की फसल लेने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नही होगा।

6 बाग परिसर में वृक्षों तथ नये पौधारोपित वृक्षों की हर प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेका लेने वाले व्यक्ति की होगी तथा संस्थान द्वारा गोबर की खाद को वृक्षों के थलहो में डलवायेगा लेकिन उनकों गुडवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगीं ।

7 जो भी पेड लगाये गये है उनकी पूरी देख.रेख करनी होगी, कोई वृक्ष देखभाल के बाद भी मृत हो जाता है (सूख जाता है) तो उसकी तत्काल सूचना संस्थान के समबन्धित अधिकारियों को लिखित रूप में दी जायेगी, जिससे उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके उसका सही कारण सुनिश्चित किया जा सकें और यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगया जा सके, जिस पर निर्णय विशेष कार्याधिकारी द्वारा किया जायेगां।

8 फसल की देखरेख की जिम्मेदारी (उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव सहित)बागों को लेने वाले व्यक्ति (ठेकेदार)की होगी । किसी किस्म के नुक्सान के लिए संस्थान जिम्मेदार नही होगा और न कोई क्षतिपूर्ति करेगा एवं दैविक आपदाओं द्वारा होने वाली फसल की क्षति की पूर्ति संस्थान की जिम्मेदार नही होगी।

9 नीलामी /टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के अन्दर बाग लेने वाले पक्षों द्वारा रू0 100/. मात्र के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) करना होगा। स्टाम्प आदि का व्यय नीलाम/टेण्डर लेने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा। तथा 15 दिन के अन्दर पूरा नीलामी फसल का भुगतान संस्थान को करना होगा।

10 संस्थान द्वारा चिन्हित किये गये बागों के अलावा संस्थान के अन्य किसी भी स्थान से कोई भी फलों को तोडने की इजाजत नही होगी।

11 यदि नीलाम/टेण्डर में संस्थान द्वारा रखी गई रू0 15,000/. की धनराशि बैंकड्राफ्ट के द्वारा नही पाई जाती तो उसका फार्म निरस्त कर दिया जायेगा ।

12 यदि किसी कारणवश अधिकतम धनराशि देने वाली फर्म या व्यक्ति बागों की फसल लेने को इच्छुक नही होता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि दूसरे न्यनतम फर्म/व्यक्ति के पक्ष में नीलामी कर दी जायेगी यदि दूसरी न्यमतम फर्म /व्यक्ति भी फसल लेने की इच्छुक नही होगी तो पूरी प्रकिया स्थगित कर दी जायेगी।

13 बागों की रखवाली के लिए जो श्रर्मिक रखे जायेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।

14 विवाद की स्थिति में निदेशक आई.आई.एम लखनऊ का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

15 संस्थान में नीलामी की जाने वाली आम की फसल दोनो बागों में लगभग 500 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के होगें।

फसल टेण्डर का प्रारुप — 2019

फर्म/व्यक्ति का नाम,पूरा पता एवं दूरभाष नम्बर एवं डी.डी का विवरण	बागों की फसल की धनराशि
हस्ताक्षरः	दिनॉकः